न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 157/2015

1 ईश्वर सिंह पुत्र स्व. कल्याण सिंह जाति राजपुत निवासी रामनगर पटवार हल्का बागोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
2 शंकरसिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपुत निवासी रामनगर पटवार हल्का बागोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बखिलाफ निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी सरकार बनाम शंकरसिंह राजपुत मु.नं. 181/2011 अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय दिनांक 11.06.2015

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री मदन सिंह गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री धीरज कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—12.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 181/2011 में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 958 रकबा 0.71 हैक्टेयर ग्राम रामनगर बाघोली में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत तहसीलदार उदयपुरवाटी ने उक्त भूमि को अकृषि कार्यों के लिय काम आना बताकर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू के न्यायालय में धारा 177 आर.टी.एक्ट 1955 का वाद पत्र पेश किया जिस वाद पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.06.2015 को विचाराधीन निर्णय पारित कर स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय में रिकार्डेड खातेदार अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना, अपील को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, विधिक प्रकिया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *

की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सम्यक तामील के उपरांत एकपक्षीय कार्यवाही कर पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग साबित पाये जाने पर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंदर मियाद शुमार की जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में पक्षकारों की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना, अपील को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर